रूग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षमता बनाने के लिये तैयार की गई योजना

1199. **श्री नागमणि** :

श्री कनक सिंह मोनसिंह मंगरोलर :

श्री राजनाथ सिंह :

श्रीमती मालती शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) रूग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ; और

(ग) इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी पाल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया हैं कि उसने रूग्ण लघु उद्योग एककों की समस्याओं से निपटने के लिए और रूग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैकों करे दिशानिर्देश जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों मे, अन्य बातों के साथ-साथ रूग्ण लघु उद्योग की परिभाषा, अर्थक्षम मानदंड, प्रारम्भिक रूग्णता और संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए बैकों/वित्तीय संस्थाओं से राहतें/रियायतें भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) आरबीआई की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंगसे सूचना प्राप्त नहीं होती हैं। तथापि, मार्च, 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रूग्ण लघु उद्योग एककों की संख्श 256452 थी जिनके पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 3680.37 करोड़ रूपए बकाया था। इनमें से 16580 एककों को संभावित रूप से अर्थक्षमता माना गया था और 5607 मामलों मं अर्थक्षमता का अभी निर्धारण किया जाना था। अर्थक्षम एककों में से उस तारीख की स्थिति के अनुसार 101376 एकक पोषण कार्यक्रम के अधीन थे।

Review of FERA

1200. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government propose to review FERA and other relevant laws;

(b) whether Government have taken into consideration the views expressed by FICCI, UNDP, and UNCTAD in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROS AD PAL): (a) to (c) Major changes in FERA were carried out vide Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 1993 (29 of 1993). However, a comprehensive review of FERA is currently being under taken and further changes, if necessary, may also be considered.

"एनरॉन:" कम्पनी का शिक्षा कोष (एजुकेशन फण्ड)

1201. **श्री राम देव भंडारी :** कया वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या "एनरॉन" कम्पनी ने भारत में लोगों को शिक्षित करने के लिए आने वाले शिक्षा कोष से 60 करोड़ रूपये वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बड़े कोष के देश में आगमन तथा उसके सही उपयोग की जानकारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) डाभोल पावर कम्पनी ने सूचित किया हैं कि उनका इस प्रकार का कोई शिक्षा कोष नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।